जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(राजस्व शाखा)

(E-mail ID- adcchaibasa@gmail.com)

पत्रांक 94(A)/रा०

प्रेषक,

अपर उपायुक्त–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड, राज्य खाद्य आयोग,
झारखण्ड, राँची।

दिनांक 15.09.2020.

विषय– खूँटपानी अंचल के ग्राम पुरूनियाँ के जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा राशन कार्ड में जोड़े गए नए व्यक्तियों को राशन नहीं वितरित करने से संबंधित प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में की गयी सुनवाई का आदेश की प्रति का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खूँटपानी अंचल के ग्राम पुरूनियाँ के जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा राशन कार्ड में जोड़े गए नए व्यक्तियों को राशन नहीं वितरित करने से संबंधित प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 15(5) के तहत विभिन्न तिथियों को सुनवाई कर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आदेश पारित किया गया है।

अतः पारित आदेश की प्रति भवदीय अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन

15/9/2020

अपर उपायुक्त–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

अनुलग्नक– यथोक्त।

G:\Latter 2016-17_1.docx

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(राजस्व शाखा)

अभिलेख संख्याः विविध............./2020

विषयः खुंटपानी अंचल के ग्राम पुरूनियाँ, पंचायत पुरूनियाँ के राशन डीलर के द्वारा राशन कटौती करने के संबंध में सतारी होनहागा एवं अन्य से प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में सुनवाई।

आदेश का क्रम संख्या एवं दिनांकः	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
14.09.2020	अभिलेख उपस्थापित। डीलर नानिका होनहागा उपस्थित। उनके द्वारा 20 व्यक्तियों को राशन उपलब्ध कराकर सूची उपलब्ध कराया गया। सुनवाई के दौरान निम्न शिकायतकर्त्ताओं का पक्ष सुना गया :– 1. सिदिऊ होनहागा, पुरूनियाँ उपस्थित। उनके द्वारा मुनी कुई को निर्गत PH कार्ड दिखाया गया, जो उनकी पत्नी है। एक व्यक्ति जिन्हे कार्ड में जोड़ा गया है, उन्हे खाद्यान्न नहीं मिलने की शिकायत किया था। उन्हें अब खाद्यान्न मिल गया है, जो 85 किलोग्राम है। कार्ड में भी प्रविष्ट है। 85 किलोग्राम 13 माह का बकाया और 25 किलोग्राम Free खाद्यान्न को जोड़ कर दिया है। अब उन्हे डीलर से कोई शिकायत नहीं है। 2. शिकायतकर्त्ता सतारी होनहागा, ग्राम– पुरूनियाँ उपस्थित। PH कार्ड मदुई होनहागा के नाम से निर्गत है, जो उनकी बहन है। जोड़े गए 2 नए सदस्य के लिए 13 महिना (सितम्बर 2019 से सितम्बर 2020) तक का खाद्यान्न उन्हे डीलर द्वारा दे दिया गया है। कार्ड में भी प्रविष्टि किया गया है। शिकायतकर्त्ता को अब कोई आपत्ति नहीं है। 3. राजा होनहागा, ग्राम– पुरूनियाँ उपस्थित। PH कार्ड अनिता होनहागा के नाम से निर्गत है, जो उनकी पत्नी है। इनके कार्ड में 3 नए सदस्य जोड़े गए है। जिनके लिए 5 किलोग्राम के हिसाब से 13 माह का खाद्यान्न और 3 माह का अतिरिक्त कुल 255 किलोग्राम चावल शनिवार (12.09.2020) को मिला है। जिसका प्रविष्टि कार्ड में है। उन्हे अब डीलर से कोई शिकायत नहीं है। 4. मीरा होनहागा, ग्राम– पुरूनियाँ उपस्थित। PH कार्ड इनके नाम से ही निर्गत है। एक नए सदस्य के लिए 13 महिना का 5 किलोग्राम खाद्यान्न और एक माह का Free खाद्यान्न कुल 85 किलोग्राम खाद्यान्न दिनांक 12.09.2020 को मिला है, कार्ड में भी प्रविष्टि की गयी है। उन्हे अब डीलर से कोई शिकायत नहीं है। 5. लुदरी कुई उपस्थित। PH कार्ड उनके पति अर्जुन होनहागा के नाम से निर्गत है। कुल 3 नए सदस्य के लिए 13 माह का खाद्यान्न 255 किलोग्राम और तीन महिना का Free मिलाकर मिला है। उनके कार्ड में भी 255 किलोग्राम खाद्यान्न का प्रविष्टि किया है। उन्हे अब डीलर से कोई शिकायत नहीं है। 6. मेचो होनहागा, ग्राम– पुरूनियाँ उपस्थित। उनके द्वारा कार्ड दिखाया गया, जो डीबी होनहागा के नाम से निर्गत है, जो उनके पति है। उनके द्वारा बताया गया कि 05 बोरा 40 किलोग्राम चावल मिला है। कार्ड में मात्र 85 किलोग्राम दर्ज है। डीलर का कहना है कि गलती से 85 किलोग्राम लिख दिए है। डीलर का कहना है कि सितम्बर 2019 से अगस्त 2020 तक 3 सदस्य के लिए 5–5 किलोग्राम कर प्रति माह 15 किलोग्राम के दर से	

आदेश का क्रम संख्या एवं दिनांक:	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	खाद्यान्न दिए है और अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक कुल 75 किलोग्राम अर्थात् 255 किलोग्राम खाद्यान्न दिए है। उन्हे अब डीलर से कोई शिकायत नहीं है। 7. अनिता होनहागा उपस्थित। PH कार्ड मनोज होनहागा के नाम से निर्गत है, जो उनका पति है। इन्हे 85 किलोग्राम खाद्यान्न मिला है। जो एक नए सदस्य को जोड़ने के कारण सितम्बर 2019 से अगस्त 2020 तक और अतिरिक्त Free खाद्यान्न जोड़ कर कुल 85 किलोग्राम खाद्यान्न मिला है। कार्ड में 85 किलोग्राम का प्रविष्टि किया गया है। उन्हे अब डीलर से कोई शिकायत नहीं है। 8. सुनवाई में उपस्थित अन्य सभी व्यक्तियों को बुला कर पुछा गया कि डीलर से कोई शिकायत है क्या ? सभी लोग बोले कि अब उन्हे डीलर से कोई शिकायत नहीं है। चुँकि शिकायत के अनुसार सभी नए जोड़े गए सदस्य के लिए डीलर द्वारा राशन कार्डधारियों को राशन उपलब्ध करा दिया गया है और अब शिकायतकर्त्ता को डीलर से कोई शिकायत नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटपानी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा एवं राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ भेजे। लेखापित एवं संशोधित जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, –सह–अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। 14/9/2020 जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी –सह–अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।	